



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62624-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - **289/2026**

श्रीमती संगीता यादव

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: अभिषेक श्रीवास्तव, सत्यदेव सिंह चौहान, शशिकांत चौहान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 44

माननीय सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति

माननीय विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

- i. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3, और विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 4, श्री शिव प्रसाद यादव को खोजें, गिरफ्तार करें और इस माननीय न्यायालय के समक्ष और/या विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमगढ़ के समक्ष निष्पादन वाद संख्या 78/2021 में, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें;
- ii. प्रस्तुतीकरण पर, प्रत्यर्थी संख्या 4 की अभिरक्षा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ सौंपी जाए कि वे निष्पादन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं और कानून के अनुसार 3,44,000/- रुपये (13.01.2026 तक) की भरण-पोषण की बकाया राशि और आगे जारी रहने वाली राशि वसूल करें;
- iii. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 3 और वारंटों को तामील करने में जानबूझकर विफल रहने वाले अन्य सभी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करें और उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करें;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv. याची के मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन और मानसिक पीड़ा के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को याची को कम से कम 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का अनुकरणीय मुआवजा देने का निर्देश देते हुए रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

v. रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को कारण बताने का निर्देश दिया जाए कि विद्वान परिवार न्यायालय, आजमगढ़ के वैध आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय की आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

vi. न्याय के हित में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य और आगे के आदेश पारित किए जाएं।"

याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची संख्या 1, याची संख्या 2 (प्रत्यर्थी संख्या 4) की अलग रह रही पत्नी है। दंपति की लगभग नौ वर्ष की एक पुत्री है, जो याची संख्या 1 के साथ रह रही है। पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहे हैं और याची संख्या 2, परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 25.1.2021 द्वारा दिए गए भरण-पोषण की राशि के भुगतान से बचने के लिए निष्पादन कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है और उसका पता नहीं चल पा रहा है। इसके पश्चात प्रत्यर्थीगण को याची संख्या 2 को इस न्यायालय के समक्ष या प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, आजमगढ़ के समक्ष निष्पादन वाद संख्या 78/2021 में प्रस्तुत करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 'एम.पी. नागालक्ष्मी पत्नी एन. प्रकाश बनाम राज्य, पुलिस आयुक्त के माध्यम से' एच.सी.पी. संख्या 308/2021 में पारित निर्णय पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी द्वारा याची संख्या 2 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन के पश्चात हमने पाया कि उस मामले में बंदी याची के ससुर (प्रत्यर्थी संख्या 4) की अवैध हिरासत में था, इसलिए न्यायालय ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में याची संख्या 2 का पता नहीं चल पा रहा है। केवल इसलिए कि वह अपनी पत्नी और पुत्री को भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने के लिए परिवार न्यायालय द्वारा जारी वारंट से बच रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यह संबंधित परिवार न्यायालय का कार्य है कि वह न्यायालय के समक्ष याची संख्या 2, अर्थात् शिव प्रसाद यादव की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी दंडात्मक उपाय शुरू करे।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न्यायालय की कार्यवाही में किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने का उपकरण नहीं हो सकती।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका खारिज की जाती है।

(विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ,
न्यायमूर्ति)

मार्च 25, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अतुल कृ. श्री.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"